



Neutral Citation No. - 2026:AHC:35249

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 6272/2026

डॉ. रामपाल सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : नरेंद्र कुमार पाठक, सुनील कुमार यादव

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, सी.एस.सी., सौरभ तिवारी

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 5 और 6 के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ तिवारी, प्रतिवादी संख्या 7 के विद्वान अधिवक्ता श्री अविनाश चंद्र श्रीवास्तव, और रिट याचिका संख्या 38769/2019 के विद्वान अधिवक्ता श्री आदित्य वर्धन सिंह की दलीलें सुनी गईं।
2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित प्रार्थना के साथ यह याचिका दायर की है:-

1. 'परमादेश' की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता की शिकायत पर विचार करे और याचिकाकर्ता के दिनांक 03.02.2026 के आवेदन पर, इस माननीय न्यायालय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर, शीघ्रता से एक वैध और सकारण आदेश पारित करे।

3. कुछ बहस के बाद, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि इस याचिका को 'वापस ली गई' मानकर खारिज कर दिया जाए, और उन्हें लंबित रिट याचिका संख्या 38769/2019 में उचित आवेदन प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता प्रदान की जाए।
4. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने इस प्रार्थना का कोई विरोध नहीं किया है।
5. तदनुसार, इस रिट याचिका को, की गई प्रार्थना के अनुरूप स्वतंत्रता प्रदान करते हुए, 'वापस ली गई' मानकर खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)

17 फरवरी, 2026

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”